

**विभाग द्वारा प्रारंभ की गई SMS सिस्टम Call Center एवं Online Complain System की प्रक्रिया हेतु यूजर गाईड**

<b>SMS</b>	<b>Call Center</b>	<b>Online complain</b>
<p>हितग्राही /पशुपालक की समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग द्वारा SMS की सुविधा प्रारंभ कि गई है :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कोई हितग्राही अपने मोबाईल फोन के माध्यम से विभाग के न. 9212212919 पर SMS कर सकता है।</li> <li>यह SMS तुरंत विभाग के पोर्टल पर दर्ज हो जाता है एवं विभाग के <b>executive</b> उस मोबाईल न. पर तुरंत फोन करते है तथा उसकी हितग्राही /पशुपालक की समस्या की पूरी जानकारी प्राप्त करते है।</li> </ol>	<p>Call Center की प्रक्रिया निम्नानुसार है</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कोई भी हितग्राही /पशुपालक अपनी या अपने क्षेत्र की समस्या हेतु ( विभाग से संबधित ) हेतु विभाग के <b>Call Center</b> न. 0775-6457525 पर सम्पर्क कर सकते है।</li> <li>इस फोन न. पर हितग्राही अपनी समस्या सीधे विभाग मुख्यालय पर दर्ज करा सकते है।</li> <li>विभाग के <b>executive</b> इस हेतु सीधे संबंधित जिला कार्यालय से उस हितग्राही की समस्या के संबंध के कार्यावाही सुनिश्चित करने हेतु सम्पर्क करते है।</li> <li>संबंधित जिला कार्यालय /ए.वि.एफ.</li> </ol>	<p>अपने हितग्राहियों को SMS सिस्टम एवं Call Centre की सुविधा के अलावा विभाग द्वारा अपने हितग्राहियों को Online Complaint System की सुविधा दी गई हैं।</p> <p>इस सुविधा का उपयोग कोई भी इन्टरनेट युजर कर सकता हैं एवं साथ ही कोई भी हितग्राही/प गुपालन म.प्र. शासन के कस्टमर सेंटर MPonline एवं CSC Centre पर जाकर भी अपनी समस्या दर्ज करा सकता हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>इस सुविधा के उपयोग हेतु निगम की वेबसाइट (<a href="http://mplivestock.com">mplivestock.com</a>) को Open का online Complaint System पर क्लिक कर Complaint</li> </ol>

<p>3. विभाग के <b>executive</b> उस हितग्राही की समस्या हेतु संबंधित जिला कार्यालय /ए.एफ.ओ. /डाक्टर से संपर्क कर इसकी समस्या अवगत करते है।</p> <p>4. संबंधित जिला कार्यालय से संपर्क के पश्चात पूनः उस हितग्राही /पशुपालक को उसकी समस्या के निदान के संबंध से <b>SMS</b> किया जाता है।</p>	<p>ओ./डाक्टर /फिल्ड अधिकारी से संपर्क करने के पश्चात पूनः विभाग द्वारा हितग्राही को फोन कर उसे समस्या से संबंधित समाधान हेतु अवगत कराया जाता है।</p>	<p>हेतू फार्मेट <b>Open</b> कर सकता हैं।</p> <p>2. इस <b>Complaint</b> फार्मेट में अपनी समस्या दर्ज कराने के पश्चात् हितग्राही को उसके मोबाईल पर तुरंत <b>Complaint</b> नं. प्राप्त होता हैं जिसका की फालोअप कर सकता हैं।</p> <p>3. विभाग के <b>executive</b> पोर्टल के माध्यम से प्राप्त समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित जिला कार्यालयों के संपर्क करते हैं। तथा आव यकता होने पर <b>Complaint System</b> से प्राप्त दुरभाष नं. पर संपर्क करते है।</p>
---	--	--

विभाग द्वारा हितग्राही /पशुपालक की सुविधा हेतु एक नया प्रयास है ताकी ग्रामीण क्षेत्र के लोगो की समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। विभाग द्वारा दी जा रही इन सुविधाओं के संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप अपने सुझाव दर्ज करा सकते है।

धन्यवाद